.

<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 560/2001
औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या 245/2001

दिनांक 01.09.2025 सभी तीन अभियुक्तों में से एक काराधीन अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार सिंह को मंडल कारा हाजीपुर से वी0सी0 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शेष दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सुनील कुमार सिंह उर्फ डांगर की ओर से हाजिरी दी गयी। शेष एक अभियुक्त अगली तिथि को उचित पैरवी करें। साक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में डॉक्टर पंकज कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल हाजीपुर, स0अ0नि0 अनिल कुमार सिंह तथा अवर निरीक्षक विनय कुमार राय तत्कालीन अनुसंधानक औद्योगिक क्षेत्र थाना हाजीपुर का आरोप पत्र संख्या 35/2001 औद्योगिक थाना क्षेत्र कांड संख्या 245/2001 में गवाही अपेक्षित है। **अतः कार्यालय इनके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक एवं सिविल सर्जन के माध्यम से अजमानतीय अधीपत्र निर्गत करें।** चूकि मामला वर्ष 2001 ई0 से लंबित है तथा अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह काराधीन है। यह मामला धारा 302 भा0द0वि0 तथा 120बी जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा चिन्हित पुराने वादों की श्रेणी में आता है जिसमें त्वरित निष्पादन करने का आदेश न्यायालय को प्राप्त है। अभियोजन द्वारा पिछले 23 वर्षो में 18 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। अतः दिनांक 15.09.2025, 17.09.2025, 2409.2025 तथा 25.09.2025 को उपरोक्त साक्षियों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करे। **कार्यालय इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली एवं सिविल सर्जन वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।**

दिनांक 15.09.2025 को साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy not Official